



आईसीएमआर - राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (भास्तीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद)

ICMR - National Institute of Occupational Health (Indian Council of Medical Research)

मेघाणी नगर, अहमदाबाद-३८००१६.

Meghani Nagar, Ahmedabad-380016

अवकाश के लिए आवेदन पत्र

LEAVE APPLICATION

(अनुपूरक नियम २.६ को देखिये/See Supplementary Rule 2.6)

नोट-मद १ से १२ सभी प्रार्थियों को भरना चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित ।

Note : Item 1 to 12 must be filled in by all applicants whether Gazetted or Non-Gazetted

1. आवेदक का नाम/Name of applicant :
2. लागू होने वाली छुट्टी के नियम/Leave rules applicable : सीसीएस (छुट्टी का नियम १९७७) CCS (Leave Rule-1977)
3. धारित पद/Post held :
4. विभाग/कार्यालय/अनुभाग/Dept./office/Section :
5. मूल वेतन/Basic pay
6. वर्तमान पद में आहरित किए जाने वाले मकान किराया, वाहन भत्ता या अन्य प्रतिपूरक मत्ते/HRA, Conveyance allowanes or other compensatory allowance drawn in present post : नियमानुसार/As per rules.
7. जिस छुट्टी का आवेदन किया जा रहा है, उसका प्रकार : अवकाश/leave for दिन के लिए/days
एवं अवधि तथा यह तारीख जिससे छुट्टी चाहिए है ।/ दिनांक/from से/to तक
Nature & Period of leave applied from to and date from which required
8. रविवार और सार्वजनिक छुट्टियाँ, यदि कोई हैं, जिन्हें : पूर्व में/Prefix
अवकाश के पूर्व/बाद में जोड़ा जाना प्रस्तावित है ।/Sunday बाद में/Suffix
& Holidays if any proposed to be prefixed and suffixed to leave :
9. छुट्टी लेने का कारण/Ground on which leave is applied for :
10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख एवम् उस छुट्टी का :
प्रकार और अवधि/ Date of return from last leave and the nature and period of that :
11. मैं इस आगामी अवकाश के दौरान स्वयं खंड वर्ष..... :
की अवकाश यात्रा स्थिरता का लाभ प्राप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ/ I proposed/don't propose to avail myself of leave travel concession for the block years during the ensuing leave.
12. अवकाश की अवधि के दौरान पता/Address during leave period :

कृ.प.ऊ/P.T.O.

13. (अ) मैं वचन देता/देती हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तन छुट्टी की अवधि में लिये गये छुट्टी के वेतन और आधे औसत वेतन/अर्ध वेतन छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम वापस कर दूंगा/दूंगी, जो छुट्टी की समाप्ति अथवा उसके दौरान मेरे सेवानिवृत्त होने की स्थिति में भौत नियम ८१ (ब) परिशोधित छुट्टी नियामवली १९३८ के नियम २, (ग) (३) के लागू न होने पर स्वीकार्य न होती। I/ I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during the leave on average pay/commute leave and not admissible during hte leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the provided to F.F. 81 (b) (ii)/rules 2 (c) (ii) of the revised leave rules 1938, not been applied in the events of my retirement from service at the end of or during the currency of leave.

(ब) मैं अर्जित छुट्टी न होने की अवस्था में छुट्टी का वेतन लौटाने का वचन देता/देती हूँ, जो छुट्टी की समाप्ति पर अजथा उसके दौरान मेरे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने की स्थिति में परिशोधित छुट्टी नियमावली १९३३ के मूल नियम (२) (ग) नियम (२), (घ) के लागू न होने पर स्वीकार्य न होती। I/ I undertake to refund the leave salary drawn during "Leave Not Due" which would not have been admissible had F.R. (ii) (c) /rules 2 (d) of the Revised Leave rules 1933, not been applied in the event of my Voluntary retirement from service at the end of or during the currency of leave.

प्रार्थी के हस्ताक्षर/Signature of the applicant

दिनांक/Date

14. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और अथवा अनुशंसा :
Remarks and or recommendation of the controlling officer

सक्षम प्राधिकारी/निदेशक का अनुमोदन
Approval of Competant Authority/Director

हस्ताक्षर/Signature
नाम/Name
नदनाम/Designation
दिनांक/Date

छुट्टी की स्वीकार्यता के बारे में प्रमाण पत्र CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE

(राजपत्रित अधिकारी के संबंध में परिषद के लेखाधिकारी द्वारा)
(By Accounts Officer of the Council in case of Gazetted Officer)

15. प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक _____ से _____ तक _____ दिनों
(अवधि) का _____ (अवकाश का प्रकार) केंद्रीय सिविल सेवाएं (अवकाश) नियमावली, १९७२ के
नियम के अधीन स्वीकार्य है। I/Certified that..... leave for.....days from..... to
..... is admissible under the rules C.C.S. (Leave) Rules 1972.

दिनांक/Date

अनु. अधि./प्रशा. अधि./वरि. प्रशा. अधिकारी
S.O./A.O./Sr. A.O.

16. स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी का आदेश/Other of the Sanctioning Authority

यदि प्रार्थी को कोई प्रतिपूरक भत्ता मिलता हो तो छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी को पहले लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी उसी पद पर या दूसरे पद पर देय समान मत्ते के साथ वापसी/कार्यभार ग्रहण करेगा। I/If the applicat is drawing any compensatory allowance the leave sanctioning authority should state whether on expiry of leave he is likely to return to the same post or another post carrying similar allowance.